जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 191वीं बैठक दिनांक 05.03.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक,(II) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक,(III) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती ममता राव, उपायुक्त, जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हरिसिंह मीणा, उपायुक्त जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ओंकार मल, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री पंकज ओझा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–13 व 8, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री डॉ. सत्य प्रकाश, तहसीलदार जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन–1 व 12, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री मुरलीधर चेजारा, सहायक नगर नियोजक जोन–15, जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्या :–1

191/05.03.2013

विषयः– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 189वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 एंव बैठक कमांक 190वी. बैठक दिनांक 08.20.2013 को सम्पन्न हुई बैठको के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरणों की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्या :–2

191/05.03.2013 (जोन–2)

विषयः– गुलाबबाडी गृ.नि.स. समिति की योजना मल्होत्रा नगर के भूखण्ड सं. 257–ए से 270 व 235–ए रो 242–बी, 243–बी, 250–बी, 250–सी, 251–डी, 256–ए, बी, सी के नियमन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा भूमि की स्वामित्व की जांच राजस्व रिकार्ड से की जावें एवं यह भी सुनिश्चित किया जावें कि प्रकरण अब्दुल रहमान वाद में माननीय न्यायालय के आदेशों से प्रभावित तो नहीं है। प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार द्वारा दी गई शिथिलिता के अनुसरण में जोन स्तरीय समिति के स्तर से निर्णय लिया जावें।

एजेण्डा संख्या :–3

191/05.03.2013 (जोन–7)

विषयः– निजी खातेदार की योजना कृष्ण कुंज में भू.सं. एल–14 के पिछे के सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज क्लब हाउस प्रयोजन में निर्धारण किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कृष्ण कुंज योजना प्राधिकरण से स्वीकृत है किन्तु इसमें सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज निर्धारित नहीं है। श्री केशव अग्रवाल इस योजना के भू–स्वामी द्वारा इस योजना में संबंधित सुविधा क्षेत्र को क्लब हाउस हेतु मांग किए जाने के कारण भू.सं. 14 के पीछे के सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज क्लब हाउस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया जावें। भूमि का आवंटन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार उस क्षेत्र की आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार राशी ली जावें।

एजेण्डा संख्या :–4

191/05.03.2013 (जोन–8)

विषयः–सेक्टर न. 39 में 1 किलोमीटर परिधी क्षेत्र में प्रस्तावित 7 सेक्टर सडके होने के कारण कुछ सेक्टर रोड विलोपित करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र के आस पास 48 मी. व 24 मी. चौडी 7 सडके प्रस्तावित है। पीटी सर्वे के अनुसार 1 किलो मीटर की परिधि में 24 मीटर की 6 सडके है जिसमें फैक्ट्री व मकानात निर्मित है। इसलिए समिति ने विचार विमर्श कर मौके की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए इस क्षेत्र की रिप्लानिंग कर आपत्ति/सुझाव हेतु आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जावें। सेक्टर रोड के परिवर्तन के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निम्न सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये।

1. अति. मुख्य नगर नियोजक

2. वरिष्ठ नगर नियोजकII

3. उपायुक्त जोन

4. तहसीलदार जोन

प्रश्नगत सेक्टर रोडों के संदर्भ में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :–5

191/05.03.2013 (जोन–10)

विषयः– जय गणेश गृ.नि.स. समिति की योजना गणेश विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना में 100 व.ग. से कम क्षेत्र के भूखण्ड है तथा सामने 10 फिट से 8 फिट तक चौडाई की सडके है। तथा इसके पश्चात् सडक पर बालकनी निकाल रखी है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार न्यूनतम सडक की चौडाई 15 फिट रखा जाना आवश्यक है अतः जोन द्वारा मौके के सम्पूर्ण स्थिति का पुनः परीक्षण किया जावें एवं योजना की सडकों को किस प्रकार माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बढाया जा सकता है यह भी सुनिश्चित किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–6

191/05.03.2013 (जोन–11)

विषयः– अनुकम्पा होमस प्रा.लि. के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (खसरा न. 1407, 1408, 1413, 1414 ग्राम मुहाना तह. सांगानेर) के उप–विभाजन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 23333.77 व.ग. का है तथा इसमें से 9004.53 व.ग. व 14329.24 व.ग. के भूखण्डों का उपविभाजन स्वीकृत किया जावें। उपविभाजित भूखण्डों के पैरामीटर मूल भूखण्ड के अनुसार व उपविभाजन विनियमों के अनुसार होगें।

मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

<u>एजेण्डा संख्या :–7</u>

191 / 05.03.2013 (जोन–11)

विषयः– ऑरिक विला आवासीय योजना के संशोधित योजना मानचित्र में अनुमोदित के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मानचित्र को स्वीकृत सुविधा क्षेत्र का एण्डयूज क्लब हाउस निर्धारित किया जावें एवं नियमानुसार आवंटन की प्रकिया टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार उस क्षेत्र को आरक्षित दर के आधार पर नियमानुसार राशी लिये जाकर की जावें।

<u>एजेण्डा संख्या :–8</u>

191 / 05.03.2013 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदारी की श्याम वाटिका फेज–द्वितीय आवासीय योजना ग्राम सिवार तह. जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्या :–9</u>

191 / 05.03.2013 (जोन–13)

विषयः– मनोज मितल एवं प्रदीप मितल के द्वारा ग्राम कानोता तह. बस्सी के भूमि पर होटल परियोजनार्थ बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि 5 प्रतिशत भूमि एवं सडक क्षेत्र में आने वाली भूमि प्रार्थी से निःशुल्क ली जावें व प्लान्टेंशन कोरिडोर में कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होने की शर्त पर वाणिज्यक प्रयोजन का एकल पट्टा स्वीकृत किया जावें।

योजना का क्षेत्रफल 4000 व.मी. से अधिक है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

एजेण्डा संख्या :—10

191/05.02.2013 (जोन—15)

विषयः— यूनिक सिटी ग्राम बगरूखुर्द एवं ठिकरीया तह. सांगानेर की युनिक सिटी आवासीय योजना के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा पार्क क्षेत्र के लिए अन्य की भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आवेदक सर्वप्रथम रास्ते की भूमि, इकरारनामा/विक्रय पत्र/सहमति पत्र के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत तरीके से भूमि प्राधिकरण के हक में समर्पित करें तत्पश्चात् ही मानचित्र अनुमोदन की प्रकिया की जा सकेगी।।

एजेण्डा संख्या :—11

191/05.03.2013 (जोन—15)

विषयः—युनिक सिटी ग्राम बगरूखुर्द एवं ठिकरीया तह. सांगानेर की यूनिक सिटी आवासीय योजना के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा पार्क क्षेत्र के लिए अन्य की भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आवेदक सर्वप्रथम रास्ते की भूमि, इकरारनामा/विक्रय पत्र/सहमति पत्र के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण कर विधिवत तरीके से भूमि प्राधिकरण के हक में समर्पित करें तत्पश्चात् ही मानचित्र अनुमोदन की प्रकिया की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :—1

191/05.03.2013 (जोन—15)

विषयः—गोविन्द कृपा रियल होम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री सुभाष अग्रवाल द्वारा निजी खाजेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी अजमेर रोड के आवासीय भूखण्डों का पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. 2637, 2638, 3639, 2640, 2641 कुल क्षेत्रफल 1414.70 व.मी. का पुर्नगठन किया जावें।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1691.96 व.ग. है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

भूखण्डों के सैटबैक निम्नानुसार होगें:–

1. सामने 9 मीटर सडक पर – 9.00 मीटर
2. सामने 4.5 मीटर सडक पर –6.00 मीटर
3. सामने 4.5 मीटर सडक पर –6.00 मीटर
4. साइड 4.5 मीटर

अन्य पैरामीटर्स जविप्रा 2010 व समय–समय पर जारी विनियमों के अनुसार देय होगे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2</u>

191/05.03.2013 (जोन–7)

विषयः– स्वामी नारायण अक्षरधाम मन्दिर, वैशाली नगर, जयपुर में सार्वजनिक पार्क में अस्थाई शेड के निर्माण कार्य की स्वीकृति बाबत्

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति व बैठक दिनांक 02.05.2002 के प्रस्ताव 3.20(10) के निर्णयानुसार जविप्रा की अनुमोदित योजना महादेव नगर व गिरनार कोलोनी के सुविधा क्षेत्रों में पार्क की भूमि 5575 व.ग. व 5312 व.ग. एवं सार्वजनिक पार्को के रूप में विकसित करने हेतु सशर्त स्वीकृति स्वामी नारायण संस्था को दी गयी थी। संस्था को सार्वजनिक पार्क में अस्थायी शेड निर्माण करने एवं इनके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वयं के द्वारा किए जाने की शर्त पर अस्थायी शेड लगाने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3</u>

191/05.03.2013 (जोन–4)

विषयः–मृदुला अग्रवाल पत्नी श्री सुनील अग्रवाल ने भूखण्ड सं. 824 से 828 एवं 847, 848 योजना महावीर नगर के कुल 7 भूखण्डों का पुर्नगठन करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. 825, 826, 827, 828, 848, न्यू पिंक सिटी गृ.नि.स. समिति की योजना महावीर नगर के भूखण्डों का पुर्नगठन किया जावें।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक क्षेत्र है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।

भूखण्डों के सैटबैक निम्नानुसार होगें:–

सैटबैक:–

सडक 80 फिट की ओर 40 फिट

सडक 40 फिट की ओर 20 फिट

साइड –I - 20 फिट

साइड II - 20 फिट

पैरामीटर्स जविप्रा के विनियम 2010 व समय–समय पर जारी किए विनियमों के अनुसार होगें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–4

191 / 05.03.2013 (जोन–6)

विषय:– मित्र गृ.नि.स.समिति की योजना जीवनदीप कालोनी के भूखण्ड सं. 1–बी, 1–सी, 1–ई के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि 1–बी, 1–सी, 1–ई के पुर्नगठन को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।

भूखण्डों के सैटबैक निम्नानुसार होगें:–

सैटबैक:–

200 फिट सडक की ओर–40 फिट
30 फिट सडक की ओर– 20 फिट
30 फिट सडक की ओर– 20 फिट
साइड की ओर – 20 फिट

अन्य पैरामीटर्स जविप्रा के विनियम 2010 व समय–समय पर जारी किए विनियमों के अनुसार होगें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :-5

191/05.03.2013 (जोन-18-19)

विषयः-पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) सेक्टर 19 में विकसित 30 फिट सडक को प्रस्तावित 80 फिट चौडी सडक में समायोजित करने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि निदेशक आयोजना द्वारा सेक्टर 19 की प्रस्तावित 80 फिट चौडी सडक के संबंध में पूर्ण परीक्षण कर रिर्पोट प्रस्तुत की जावें, जिससे सेक्टर रोड के संबंध में अन्तिम रूप निर्णय लिया जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

13/3/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी-0107
दिनांक:- 13/3/13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

13/3/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।